भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1720
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी प्रणाली

1720. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार का आंगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से छह वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की आवश्यकता को समर्थन देने का विचार है यदि हां, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि देश भर की आंगनवाड़ियों में 70 प्रतिशत से अधिक बच्चों का नामांकन हुआ है परन्तु उन सभी में बच्चों की उपस्थिति कम है क्योंकि माता-पिता आंगनवाड़ी केंद्रों को शिक्षा के केंद्र के रूप में नहीं देखते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक जरूरतों में सहयोग करने के लिए, आंगनवाड़ी सेवाएं देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों के मंच के माध्यम से छह सेवाओं अर्थात् (i) पूरक पोषाहार; (ii) प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा; (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा; (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; और (vi) रेफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान कर रही हैं।

तीन सेवाएं अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

सेवाएं सभी पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं जिन्होंने बिना किसी सीमा के आंगनवाड़ी केंद्रों में अपना पंजीकरण कराया है और प्रदान की जाने वाली पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जनता में आवश्यक जागरूकता पैदा की जाती है। लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

(ख) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम के तहत देश भर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के माध्यम से लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली छह मुफ्त सेवाओं में से एक है। सभी आंगनवाड़ियों में ईसीसीई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, खेल-आधारित, अनुभवात्मक और बाल-अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास में सहयोग करने के लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री-स्कूल शिक्षा किट, गतिविधि पुस्तकें और मूल्यांकन कार्ड प्रदान किए जाते हैं।

3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आयु अनुकूल पाठ्यक्रम की सिफारिश करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पाठ्यक्रम प्रारंभिक प्रेरण (0-3 वर्ष) और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) (3-6 वर्ष) पर केंद्रित है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत, ईसीसीई तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, सीखने के समृद्ध वातावरण के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, उच्च-गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल के उपकरण और अच्छी तरह प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित ईसीसीई की शुरूआत करने का प्रावधान है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, शिक्षा विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण में इंटरनेट/वाईफाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, और स्मार्ट लर्निंग एड्स, ऑडियो-विजुअल एड्स

और बच्चे के अनुकूल शिक्षण उपकरणों से सुदृढ़ और उन्नत बनाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

आंगनवाड़ी प्रणाली के संबंध में श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी और श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा 16.12.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1720 के भाग (क) से संदर्भित विवरण:

आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत 30.06.2022 तक एसएनपी और पीएसई लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण के लाभार्थी					प्री-स्कूल शिक्षा के लाभार्थी		
		बच्चे (6 माह से 3 वर्ष)	बच्चे (3 से 6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह से 6 वर्ष)	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष के बच्चे और पीएंडएलएम)	लड़के (3 से 6 वर्ष)	लड़कियां (3 से 6 वर्ष)	कुल (3 से 6 वर्ष)
1	आंध्र प्रदेश	1575581	897735	2473316	691631	3164947	452954	444781	897735
2	अरुणाचल प्रदेश	70887	75322	146209	18511	164720	38048	37274	75322
3	असम	1504072	1716760	3220832	595935	3816767	921522	753973	1675495
4	बिहार	4840793	4324600	9165393	1923614	11089007	2248792	2075808	4324600
5	छत्तीसगढ़	1029905	915132	1945037	427884	2372921	448967	450657	899624
6	गोवा*	37152	22218	59370	12845	72215	0	0	0
7	गुजरात	1714281	1555071	3269352	673039	3942391	779735	745988	1525723
8	हरियाणा	657435	322499	979934	302013	1281947	161761	160738	322499
9	हिमाचल प्रदेश	234531	119855	354386	93117	447503	36930	36658	73588
10	झारखंड	1620673	1208532	2829205	712185	3541390	667285	649197	1316482
11	कर्नाटक	2083686	1572655	3656341	685618	4341959	795300	777355	1572655
12	केरल	478256	354496	832752	343864	1176616	180220	174276	354496
13	मध्य प्रदेश	2844488	3058399	5902887	1135127	7038014	1432176	1409211	2841387
14	महाराष्ट्र	3047944	3069225	6117169	1197374	7314543	1441238	1530054	2971292
15	मणिपुर	148886	183005	331891	55239	387130	92318	90165	182483
16	मेघालय	214309	252691	467000	74223	541223	115887	112637	228524
17	मिजोरम	54174	46860	101034	20960	121994	20218	20050	40268
18	नागालैंड	188212	180831	369043	41324	410367	87601	85866	173467
19	ओडिशा	1632449	1743629	3376078	636767	4012845	935562	908067	1843629
20	पंजाब	616513	282587	899100	256886	1155986	148785	139712	288497
21	राजस्थान	2252076	1488690	3740766	1118558	4859324	759232	729458	1488690
22	सिक्किम	10130	7495	17625	4268	21893	3799	3696	7495
23	तमिलनाडु	1907303	764421	2671724	726975	3398699	386400	374263	760663
24	तेलंगाना	1017581	549128	1566709	384131	1950840	270564	265992	536556
25	त्रिपुरा	144443	182600	327043	56218	383261	91975	90625	182600
26	उत्तर प्रदेश	8482468	5255516	13737984	3997398	17735382	2550878	2397644	4948522
27	उत्तराखंड	309717	125778	435495	141817	577312	117089	115824	232913
28	पश्चिम बंगाल*	3496415	3395021	6891436	1428254	8319690	0	0	0
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	9489	4637	14126	2903	17029	2379	2258	4637
30	चंडीगढ़	22491	10863	33354	8762	42116	5536	5327	10863
31	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	15469	10990	26459	8556	35015	5567	5423	10990
32	दिल्ली	361944	178824	540768	130225	670993	88346	85170	173516
33	जम्मू व कश्मीर	293354	251557	544911	117502	662413	172468	165504	337972
34	लद्दाख	9139	8477	17616	3172	20788	4266	4211	8477
35	लक्षद्वीप	2819	1063	3882	1053	4935	520	543	1063
36	पुदुच्चेरी	26833	4528	31361	9480	40841	2300	2228	4528
	योग	**42955898**	**34141690**	**77097588**	**18037428**	**95135016**	**15466618**	**14850633**	**30317251**

*कोविड-19 के चलते आंगनवाड़ी केंद्र प्री-स्कूल शिक्षा नहीं चला सके

*****